निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 102/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

अर्जुन पुत्र स्व. श्री गिरधारी, जाति बलाई, ग्राम बूरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयन्त कुमार, आर.ए.एस, उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर), जयपुर।
2. सुन्दरी देवी पत्नी स्व. श्री सोहन,
3. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री सोहन,
4. पूरणमल पुत्र स्व. श्री सोहन,
5. आशादेवी पुत्र स्व. श्री सोहन,

   समस्त जाति बलाई, निवासियान ग्राम बूरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

6. मीरा पत्नी बाबू, जाति बुनकर, अप्रार्थीगण

   302/5, थानसिंह नगर, गली नंबर 2, सरस्वती नर्सिंग होम के पास, मिलिट्री रोड़, आनन्द पर्वत नगर, नई दिल्ली।

7. रूकमा पत्नी बिरदीचंद,
8. लक्ष्मा देवी पत्नी स्व. रामनारायण,

   समस्त जाति बलाई, ग्राम बूरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

9. विमला देवी पत्नी स्व. श्री सुगनचंद पुत्री रामनारायण,
10. दीपचंद पुत्र सुगनचंद पौत्र श्री रामनारायण,
11. जीतू पुत्र सुगनचंद पौत्र श्री रामनारायण,

    समस्त जाति बलाई, बी–32, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।

12. राजू पुत्र रामनारायण,
13. ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण,
14. महेन्द्र पुत्र रामनारायण,
15. राजेन्द्र पुत्र रामनारायण,

    समस्त जाति बलाई, इन्द्रा कॉलोनी, ग्राम बूरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

16. लाडा देवी पत्नी बाबूलाल पुत्री रामनारायण बलाई,

    ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

17. ज्ञानादेवी पत्नी पप्पूलाल बुनकर पुत्री रामनारायण,
18. कान्तादेवी पत्नी नारायण बुनकर पत्नी रामनारायण,

    समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

19. संतोष देवी पत्नी मुकेश पुत्री रामनारायण,

    जाति बलाई, निवासी रैगरों का मोहल्ला, ग्राम रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

20. लाली देवी पत्नी गजानन्द बुनकर पुत्र रामनारायण,

    प्रेमनगर, पंखा कांटा, झोटवाड़ा, जयपुर।

21. पारा देवी पत्नी श्रवण पुत्री स्व. गिरधारी,
22. किशन पुत्र श्रवण,
23. दयाल पुत्र श्रवण,
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रोफार्मा अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर), जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 45/2019 ब उनवानी सुन्दरी व अन्य बनाम मंगली व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री हरीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बंशीधर जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 29.08.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर), जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 45/2019 ब उनवानी सुन्दरी व अन्य बनाम मंगली व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर), जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी एवं प्रोफार्मा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 45/2019 ब–उनवानी सुन्दरी देवी व अन्य बनाम मंगली व अन्य बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा कतई मिथ्या एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर प्रस्तुत कर रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से वास्तविक तथ्य छिपाते हुए वाद प्रारभिक डिक्री करवा लिया है, जिसके बाबत वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है, किन्तु तत्पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत हित प्रतीत हो रहा है तथा गत पेशी में मिन प्रार्थी को धमकाते हुए कहा कि आप आज चुपचाप इसमें बहस कर ले अन्यथा मैं इसे आज ही डिक्री कर दूंगा, तब प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर से रेमाण्ड हुआ है तथा अभी उक्त प्रकरण बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है, अतः आगामी तारीख पेशी प्रदान करें। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी पेशी पर निश्चित रूप से आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारित कर देंगे, जिससे प्रार्थी को शत–प्रतिशत विश्वास हो गया कि अब प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलना संशयप्रद है। उक्त प्रकरण की कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष ही विचाराधीन रही तो अप्रार्थीगण के हक में विधिविरूद्ध तरीके से अनुतोष प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे बेवजह मुकदमेबाजी बढेगी एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है, अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर), जयपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित टिप्पणी में अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए सभी आरोप मिथ्या एवं निराधार है। प्रार्थी को आपत्ति हेतु बार–बार अवसर दिए जाने पर भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जा

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रही है, वरन तारीख पेशी ली जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, तथापि प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है, तो न्यायालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मात्र प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के उद्देश्य से मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रकरण को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित सुनवाई में की जा रही है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई बल नहीं पाते है। दौराने सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किया जाए। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए है और ना ही प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति उभय पक्ष हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर